मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 13 जनवरी, 2009 (पौष 23, 1930)

समय 10.30 बजे दिन

1.पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार -

(क) वित्तीय वर्ष 2007-2008 की द्वितीय छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण,

(ख) वित्तीय वर्ष 2008-2009 की प्रथम छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण, तथा

(ग) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापनांतर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 (दिनांक 19.01.2006 - 18.01.2007) तथा वर्ष 2007-2008 (19.01.2007 - 18.01.2008) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अनूप मिश्रा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-03-2008-तेरह, दिनांक 8 सितम्बर, 2008 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री जगन्नाथ सिंह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

2. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

(1) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी -
"श्री हरवंश सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय. "
डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(2) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री हरवंश सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय. "
श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(3) श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री हरवंश सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय. "
श्री आरिफ अकील, सदस्य, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(4) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री हरवंश सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय. "
श्री पारस दादा, सदस्य, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

3. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

5. वर्ष 2008-2009 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19,20, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 44, 47, 52, 55, 56, 58, 63, 64, 65, 67, 69, 75, 77 तथा 78 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार नौ सौ दो करोड़, चौरानवे लाख, सैंतीस हजार, नौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

2 घन्टे

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) का *पुरस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 जनवरी, 2009

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.